कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र।

पत्रांक:यूआईडी–2014/339/जीजैडबी/गाजियाबाद/7/डीडी (भ-22) 387 दिनांक: मई 12 2014

सेवा मे,

नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाज़ियाबाद।

विषय: **मैसर्स यूटिलिटी इस्टेट प्रा0 लि0 द्वारा व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–3 इण्टीग्रेटिड टाउनशिप योजना ग्राम शाहपुर बम्हेटा जनपद गाजियाबाद मे प्रस्तावित मर्केन्टाईल भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र का निर्गत किया जाना।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से यूआईडी–2014/339/जीजैडबी/गाजियाबाद /7/डीडी मे वॉच्छनीय अभिलेखों को उपलब्ध कराते हुये प्रश्नगत भवन (मर्केन्टाइल) के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने अनुरोध किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे मानचित्रों एवं प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद द्वारा किया गया तथा उनकी संस्तुति आख्या पत्रांक: क–3/एफएसके–2014 दिनांक: 07–05–2014 का परीक्षण सुसंगत मानको के अनुसार कर मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांकित: 09–05–2014 इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी तथा समस्त अभिलेखों का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:–

भवन की संरचना:–

1–भूखण्ड एरिया–6570.650 वर्ग मी0 एवं प्लाट एरिया–5913.585 वर्ग मी0।

2–प्रस्तावित बेसमेन्ट प्रथम व द्वितीय कवर्ड एरिया–3052.015 वर्ग मी0 प्रत्येक।

3–प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया–2364.938 वर्ग मी0।

4–प्रस्तावित प्रथम तल कवर्ड एरिया–2290.980 वर्ग मी0।

5–प्रस्तावित द्वितीय व तृतीय तल–2282.500 वर्ग मी0 प्रत्येक।

6–प्रस्तावित भवन की ऊँचाई–17.90 मी0।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड विवरण:– प्रस्तावित भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की मकेन्टाइल भवन श्रेणी एफ–2 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:–

1– पहुच मार्ग:– भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे 30 मी0 रोड की चौडाई अंकित की गई है।

2– प्रवेश/निकास द्वार की चौडाई–06.00 मी0 उपलब्ध है।

3– सैटबेक:– प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:–

ए0–अग्रभाग–06.38 मी0।

बी0–पृष्ठ भाग–06.00 मी0।

सी0–पार्श्व भाग प्रथम–06.28 मी0।

डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–06.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन के सैटबेक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अनुसार है, तथा अग्निशमन वाहनों हेतु 06 मीटर मोटरेबुल स्पेस प्रदर्शित है जो सदैव अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नही होगा।

4– निकास मार्ग:– प्रस्तावित भवन मे 05 स्टेयर जिनकी चौडाई क्रमशः 1.50 मीटर प्रस्तावित है,तथा पॉचवे तल पर 04 स्टेयर प्रस्तावित है जिनकी ट्रेवलिंग डिस्टेन्स समस्त स्थानों से अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था– नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के अनुसार प्राविधानित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था वॉच्छनीय है।

1–भूमिगत टैंक: प्रश्नगत भवन मे अग्निशमन कार्यो हेतु भूमिगत टैंक 1,00,000 ली0, क्षमता का स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 के अनुसार वॉच्छनीय है।

2–पम्प–अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का विद्युत चालित मैन पम्प, 2280 एल0पीएम0 क्षमता का डीजल चालित पम्प एवं जौकी पम्प 180 एल0पी0एम0, क्षमता स्थापित कराया जाना वॉच्छनीय है।

3–होजरील:–प्रस्तावित भवन मे होजरील लैण्डिंग वाल्व, आई0एस0–3844 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

4–वेटराइजर कम डाउनकामर:–प्रस्तावित भवन मे वेटराईजर कम डाउनकामर फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0–3844–1989 के अनुसार वॉच्छनीय है।

(अमन शर्मा)
उप निदेशक फा0 से0
मेरठ

5–यार्ड हाइड्रेण्टसः–प्रस्तावित भवन परिसर मे यार्ड हाईड्रेण्टस एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टमः– प्रश्नगत भवन मे आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम की स्थापना एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

7–मैनवली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः– प्रश्नगत भवन मे मैनवली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम की स्थापना एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

8– टेरिस टैंकः– प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 ली0 एन0बी0सी0 के अनुसार वॉच्छनीय है।

9– टेरिस पम्पः– प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस पम्प क्षमता 900 एलपीएम एन0बी0सी0 के अनुसार वॉच्छनीय है।

10–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः–प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन के बेसमेन्ट मे आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

11–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):–प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0 –2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।

12–स्मोक एक्सट्रक्शन सिस्टमः–प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्सट्रक्शन सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

13–एग्जिट साईनेजः– प्रश्नगत भवन मे एग्जिट साईनेज वॉच्छनीय है।

14–पी0ए0 सिस्टमः– प्रश्नगत भवन मे पी0ए0 सिस्टम वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा औद्योगिक इकाई मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स यूटिलिटी इस्टेट प्रा0 लि0 द्वारा व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–3 इण्टीग्रेटिड टाउनशिप योजना ग्राम शाहपुर बम्हेटा जनपद गाजियाबाद मे प्रस्तावित (मर्केन्टाइल) भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र।

(अमन शर्मा)
उप निदेशक, फायर सर्विस
मेरठ परिक्षेत्र।

प्रतिलिपिः 1–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2–अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–मैसर्स यूटिलिटी इस्टेट प्रा0 लि0 द्वारा व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–3 इण्टीग्रेटिड टाउनशिप योजना ग्राम शाहपुर बम्हेटा जनपद गाजियाबाद को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।